

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1635/1सी0 (वन)

दिनांक 22/10/2018

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत बौला-श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.32 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन पत्रावली सं0 FP/UK/ROAD/10583/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/202/2015/एफ0सी0/1222 दिनांक 11.10.2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक सं0 1345/ FP /UK/ROAD/ 10583/ 2015 दिनांक 16.10.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध करना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत बौला-श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.32 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/202/2015/एफ0सी0/1222 दिनांक 11.10.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 08 शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 370 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षों हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 407000.00 आनलाइन चालन दिनांक 24.9.2018 द्वारा जमा कर दी गयी है। (संलग्न 1- चालन की छायाप्रति)

शर्त सं0 2 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2017-एफ0सी0 दिनांक 05.2.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्धि वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि ₹ 270400.00 दि0 24.9.2018 आनलाइन चालन द्वारा जमा कर दी गयी है। (संलग्न 2- चालन की छायाप्रति)

शर्त सं0 3- एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है उसे जमा करने की बचनवद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न 3- प्रमाण पत्र की छायाप्रति)

शर्त सं0 4- सभी धनराशियों को वैब पोर्टल पर आनलाइन जनरेट किए गए चालन के माध्यम से प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाइन जमा किया गया है। (संलग्न 4- ऑनलाइन स्लिप की छायाप्रति)

शर्त सं0 5- सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip Plantation की जाएगी। (संलग्न 5- प्रमाण पत्र की छायाप्रति)

शर्त सं० 6— एन०पी०वी० की धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की गयी है।।

शर्त सं० 7— एफ०आर०ए० की मूल प्रति प्रस्ताव की मूल कॉपी के साथ इस कार्यालय के पत्रांक सं० 1053/1सी० वन दिनांक 21.7.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। (संलग्न 6— संदर्भित पत्र एवं एफ०आर०ए० की प्रमाणित छायाप्रतियाँ)

शर्त सं० 8— Hard copy of the scheme for Planting 370 tree की प्रति आप अपने स्तर से प्रेषित करने की कृपा करें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण नोडल अधिकारी को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार 4-4 प्रतियो में।

भवदीय

(इ० राजेश चन्द्र)
अधिशाली अभियन्ता
22.10.2018

पत्रांक

/1 सी० वन

तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

देहरादून।

1— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड,

2—प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो०नि०वि० देहरादून।

3—मुख्य अभियन्ता स्तर—। लो०नि०वि० पौड़ी।

4—जिलाधिकारी चमोली।

5—अधीक्षण अभियन्ता 07वाँ वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर।

6—सहायक अभियन्ता () अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० गौचर।

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

9/20/2018

ATTACH 182

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 20-09-2018	
Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT GOPESHWAR UTTARAKHAND
Application No.	6110583131
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/202/2015
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive engineer, temporary divisiChamoli
Amount(in Rs)	677400/-
Amount in Words :Six Lakh Seventy-Seven Thousand Four Hundred Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110583131 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only • This challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Print

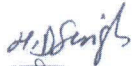
Amish Kumar
Asstt Engineer
Division PWD
Chamoli

24 SEP 2018

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे० कुल भूमि 0.320 हे० लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती हैं तो एन०पी०वी० की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अमीन

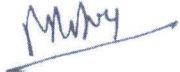

कनिष्ठ अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



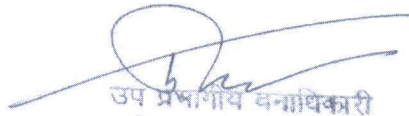
सहायक अभियन्ता

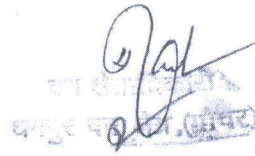
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



अधिशाली अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


उप प्रभागिय वनाधिकारी
गौचर उप वन प्रभाग
गौचर


उप प्रभागिय वनाधिकारी
गौचर उप वन प्रभाग
गौचर



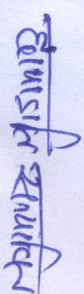

Assistant Engineer
1. Division PWD
Chauhar (Chamoli)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/ Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10583/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10583/2015)	ROAD105832015131	6110583131	11 Oct 2017	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 370 tree NPV: 270400/-, plantation value: 407000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 677400/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 19 Jul 2018 Modal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 20 Sep 2018 Transaction Date : 24 Sep 2018	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/71110129121159KV3scan0001.pdf)
	construction of new motor road of name from baula to srkot							
	FP/UK/ROAD/12840/2015 (./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/12840/2015)	ROAD128402015006	6112840006	14 Mar 2018	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety: 0/-, Addl PA: 0/- Zone: 10 times NPV: 111690/-, tree plantation: 561000/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 672690/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 28 Aug 2018 Modal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 20 Sep 2018 Transaction Date : 24 Sep 2018	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/81113125112102D7KUScan0017.pdf) Generated Challan (./UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD128402015006)
	Naut-Chatoli to Jakhet (extension)							


 Assistant Engineer
 Division PV D
 (Challan)

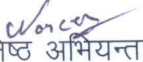

 Assistant Engineer

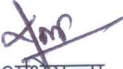
परियोजना का नाम – जनपद चमोली के अन्तर्गत बौला-श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.32 हे०
वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाइन पत्रावली सं० FP/UK/ROAD/10583/2015)

शर्त संख्या 5

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ
सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने
व्यय पर वन विभाग के देख-रेख में Strip Plantation कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
गौचर (चमोली)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:- eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1053 /1 सी0 (वन)
सेवा में,

दिनांक 21/7 /2017

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय:- प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/10583/2015 बोला से श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 हे वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0, कुल 0.320 हे0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
सन्दर्भ:- आपका E.D.S दि0 17.07.2017 एवं उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग का E.D.S. दि0 20.07.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है।

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	State Govt. was requested to submit the hard copy of the proposal containing original documents vide offline letter dated 01.11.2016 but no action has been taken so far. State Govt. may submit hard copy of the proposal containing original/attested photocopies of the documents except FRA certificate, enumeration list & Part- III, IV & V which are required in original copies.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव की मूल प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। संलग्न- प्रस्ताव 3 नं0
2	In reply to point no.2 of EDS dated 21-10-2016, it is mentioned that the district profile details has been filed up in para-14 of online part-II by DFO. but data uploaded now is different from the data uploaded in the past and no clarification has been given for change in the data.	इस बिन्दु का उत्तर डी0एफ0ओ0 स्तर से दिया जाना है।
3	It is seen from the component wise breakup uploaded at para-B.2.4 online part I that the 0.04 ha forest land is required for muck dumping but the forest land required for muck dumping has been shown as 0.19 ha in copy of the document showing details of muck dumping sites submitted in reply to point no 2 of EDS dated 09-08-2016 which may be reviewed and corrected, if necessary.	मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0 भूमि ली गयी है। जिसे Detail of muck disposal yards में प्रदर्शित किया गया है एवं पूर्व में भी अपलोड किया जा चुका है।

अतः प्रस्ताव की मूल कॉपीयों आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

कार्यालय

भवदीय

अधिकारी एवं मुख्य नोडल अधिकारी
वन संरक्षण निदेशालय (चमोली)
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

पत्रांक-1053 / तददिनांक

प्रतिलिपि- उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर को प्रस्ताव की 1 प्रति अभिलेख हेतु।
संलग्न- प्रस्ताव की 1 प्रति।

हस्ताक्षर अभिलेख

अधिशासी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

Assistant Engineer
Division PWD

Gauchar (Chamoli)

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated: 24.02.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.320 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Gauchar, Uttarakhand for construction of new motor road from "Baula to Srikot" in Chamoli district falls within jurisdiction, Srikot village (s) in Karanprayag tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire...0.320....hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Srikot', sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

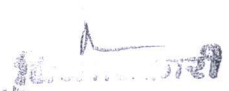
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date ~~24.02.15~~ at time ~~07.00.P.M.~~ at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measure 0.652 hect for the construction of construction of new motor road from "Baula to Srikot" and forest land 0.320 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 24.02.15


District Magistrate cum-Chairman
District Level Committee

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम : राज-योजना के अन्तर्गत मा. कु. छो. में बौला से आनीके के निर्माण हेतु 0.28 हे. एवं सन्तुष्टि हेतु 0.04 हे. वन भूमि कुल 0.32 हे. का जो. नि. के. के हस्तान्तरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, — कर्णप्रसाद

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, — कर्णप्रसाद

उपखण्ड कर्णप्रसाद परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा. कु. छो. में बौला से आनीके (0.32 हे. आरक्षित वन भूमि, * हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि * हे. वन पंचायत भूमि 0.28 हे. एवं सन्तुष्टि हेतु 0.04 हे. कुल 0.32 हे. भूमि) का जो. नि. के. के प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रसाद) की दिनांक 16.02.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री —————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री बिजेन्द्र प्रसाद उपजिलाधिकारी ————— अध्यक्ष
- 2- श्री R.K. Mirala उप प्रभागीय वनाधिकारी / R.O. Ganchas ————— सदस्य
- 3- श्री श्रीहरि प्रसाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी ————— सदस्य
- 4- श्री ————— बी.डी.सी. क्षेत्र ————— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

राज-योजना के अन्तर्गत मा. कु. छो. में बौला से आनीके के निर्माण हेतु 0.28 हे. एवं सन्तुष्टि हेतु 0.04 हे. वन भूमि कुल 0.32 हे. का जो. नि. के. के हस्तान्तरण

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

1- श्री मणिपाल सिंह सदस्य —————
2- श्री मणि सुधीलाल सदस्य —————
3- श्री माला सदस्य —————

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी / R.O. Gurelhar द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कन्यापुरा परिक्षेत्र के अन्तर्गत वाला दे शीकरीट की अनापत्ति परियोजना के निर्माण हेतु 0.320 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कन्यापुरा
जनपद कन्यापुरा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कन्यापुरा
जनपद कन्यापुरा

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत मा.मु.धो. में कोला से श्रीकोट के निर्माण हेतु 0.280 हे. एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे. कुल 0.320 हे. क वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र लो. नि. वि. की हस्तान्तरण

ग्राम पंचायत का नाम कोला
तहसील करीमपुरा, जिला रायचौरी

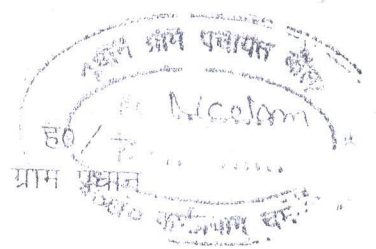
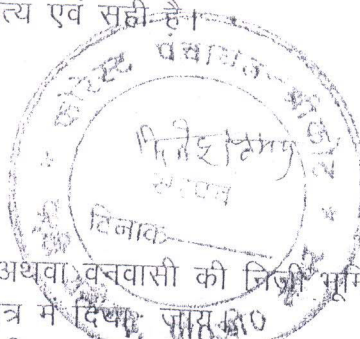
उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा.मु.धो. के अन्तर्गत कोला से श्रीकोट मोर गाँव परियोजना के निर्माण हेतु (—X— हे0 अरक्षित वन भूमि, —X— हे0 सिविल सोयम भूमि..X. हे0, मक डिस्पोजल वन पंचायत भूमि 0.280 हे0) अर्थात् कुल 0.320 हे0 वन भूमि का लो. नि. वि. 0.040 हे0 वन जो-चर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्रीकोट द्वारा दिनांक 04.12.2018 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्रीकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कुल 0.320 हे. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Signature]
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिनांक 04.12.2018 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 4-2-2015 ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री मंगना-ए अपलियाल	
2	श्री श्री १० दिनेश सिंह ठावर	
3	श्री ११ विरे-कालिंद	
4	श्रीमती वीणा डेवी	
5	जीतासिंह बिष्ट	
6	श्रीमान-ए सिंह	
7	जगदीश सिंह	
8	रमेश सिंह	
9	सदान लाल	
10	मनमोहन सिंह	
11	बलवीर सिंह	
12	बालीश कुमार	
13	मनमोहन कुमार	
13	मनमोहन कोहली	
14	मनमोहन कोहली	
15	बालीश लाल	
16	सुरिना डेवी	
17	अरुण सिंह	
18	सतीश रावत	
19	देवेंद्र रावत	
20	गुडडी डेवी	

